



2026:AHC: 177333

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 5133 वर्ष 2026

राम सेवक पहलवान

.....पुनरीक्षणवादी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....विपक्षी(गण)

पुनरीक्षणवादी(गण) के अधिवक्ता : धर्म वीर सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 87

माननीय न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत

1. पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री धर्म वीर सिंह और राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, एतद्वारा विपक्षी संख्या 2 को नोटिस जारी करने से छूट दी जाती है।
3. यह आपराधिक पुनरीक्षण विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-I, जिला-एटा द्वारा सत्र विचारण संख्या 1636 वर्ष 2025 राज्य बनाम सत्यवीर और एक अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.07.2026 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है, जो थाना-कोतवाली देहात, जिला-एटा में बीएनएस की धारा 115(2), 352, 351(2), 3(5), 109 के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 276 वर्ष 2025 से उत्पन्न हुआ है, जिसके द्वारा अभियुक्त-पुनरीक्षणवादी के उन्मोचन आवेदन को खारिज कर दिया गया है।
4. पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अवैध और मनमाना है और वाद के तात्त्विक तथ्यों और

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



परिस्थितियों पर उचित विचार किए बिना पारित किया गया है। पुनरीक्षणवादी को गांव की गुटबंदी और दुर्भावनापूर्ण आशय के कारण झूठा फंसाया गया है। यह तर्क दिया गया है कि वह प्रासंगिक तिथि और समय पर घटना स्थल पर उपस्थित नहीं था और वहां से लगभग 10 किलोमीटर दूर था। अपने झूठे फंसाए जाने का पता चलने पर, उसने तुरंत पुलिस अधीक्षक और चौकी प्रभारी, ट्रांसपोर्ट नगर, जिला एटा को सूचित किया। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि, चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, कथित घायल को आई चोटें प्रकृति में साधारण थीं और किसी भोथरे और कठोर वस्तु के कारण आई थीं, जो एफआईआर में लगाए गए आरोपों और साक्षियों के बयानों के विपरीत हैं। गर्दन पर कोई चोट नहीं पाई गई, और कोई भी चोट प्रकृति में गंभीर नहीं पाई गई।

5. पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय उन्मोचन आवेदन में उठाए गए विशिष्ट आधारों पर विचार करने में विफल रहा। घटना स्थल पर पुनरीक्षणवादी की गैर-उपस्थिति के संबंध में अन्यत्र उपस्थिति के तर्क का समर्थन विश्वसनीय और ठोस साक्ष्य द्वारा किया गया है, जिस पर उचित रूप से विचार नहीं किया गया है। यह तर्क दिया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय का यह प्रेक्षण कि अन्यत्र उपस्थिति का तर्क विचारण के दौरान उठाया और सिद्ध किया जा सकता है, वर्तमान मामले के तथ्यों में न्यायोचित नहीं है, विशेष रूप से तब जब पुनरीक्षणवादी की गैर-उपस्थिति का समर्थन ठोस साक्ष्य द्वारा किया गया हो। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि आपराधिक कार्यवाहियों को जारी रखने और पुनरीक्षणवादी को विचारण के अधीन करने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

6. यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि, सूचनादाता के कहने पर, एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया था, हालांकि, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में भी, घायल की गर्दन पर कोई कटने या चीरे के घाव का सुझाव देने वाली कोई चोट नहीं पाई गई। यह तर्क दिया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय पूर्वोक्त तात्विक तथ्यों और साक्ष्य का उचित मूल्यांकन करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर प्रतिकूल प्रभाव और न्याय की विफलता हुई। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने योग्य है और पुनरीक्षणवादी उसके विरुद्ध अभिकथित अपराधों से उन्मोचित किए जाने का पात्र है।

7. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता के अभिवेदनों का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि सूचनादाता, घायल साक्षी और अन्य चशमदीद गवाहों ने

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अभियोजन के मामले का समर्थन किया है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि घायल को सिर में गंभीर चोटें आईं और मौखिक और चिकित्सा साक्ष्य के बीच कोई भी विरोधाभास विचारण के दौरान मूल्यांकन किए जाने का विषय है। विद्वान ए.जी.ए. आगे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि आरोप-पत्र को रद्द करने की मांग करने वाली पुनरीक्षणवादी की याचिका को इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 20.02.2026 के माध्यम से पहले ही खारिज किया जा चुका है। यह तर्क दिया गया है कि अन्यत्र उपस्थिति के तर्क पर इस स्तर पर न्यायनिर्णयन नहीं किया जा सकता है और इस पर विचारण के दौरान विचार किया जाना है। विद्वान विचारण न्यायालय ने उन्मोचन आवेदन को खारिज करते हुए एक सकारण और स्पष्ट आदेश पारित किया है, जो पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में किसी हस्तक्षेप की मांग नहीं करता है।

8. पक्षकारों के परस्पर विरोधी तर्कों को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

9. एफआईआर के अनुसार, सूचनादाता ने आरोप लगाया कि 10.08.2025 को, सुबह लगभग 10:00 बजे, उसके भाई राकेश ने पुनरीक्षणवादी के भाई सत्यवीर द्वारा मंदिर के पास शराब बेचने पर आपत्ति जताई। तत्पश्चात, सत्यवीर ने राकेश को गालियां देना शुरू कर दिया, जबकि पुनरीक्षणवादी, रामसेवक ने उसे पकड़ लिया और सत्यवीर को फावड़े से उसका सिर काटने के लिए ललकारा। इस पर, सत्यवीर ने राकेश को मारने के आशय से फावड़े से उसकी गर्दन पर प्रहार किया, जिससे गंभीर चोटें आईं। अपने भाई की चीखें सुनकर, सूचनादाता मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक अभियुक्त फावड़ा छोड़कर और उन्हें धमकाते हुए घटना स्थल से भाग चुके थे।

10. घायल राकेश कुमार की चोटों का परीक्षण 10.08.2025 को दोपहर 12:25 बजे किया गया जिसमें घायल के शरीर पर कठोर और भोथरे वस्तु के कारण आई एक चोट पाई गई और एक्स-रे की सलाह दी गई जो 16.08.2025 को किया गया। सूचनादाता ने बीएनएसएस की धारा 180 के अंतर्गत दर्ज अपने बयान में एफआईआर में लगाए गए आरोपों को दोहराया है।

11. साक्षी दिनेश उर्फ बृजमोहन ने बीएनएसएस की धारा 180 के अंतर्गत दर्ज अपने बयान में कहा है कि अपने भाई राकेश की चीखें और हंगामा सुनकर वह तुरंत मौके पर पहुंचा, जहां उसने पुनरीक्षणवादी, रामसेवक पहलवान को राकेश को पकड़े हुए और सत्यवीर को फावड़े से उस पर प्रहार करने के लिए ललकारते हुए देखा। रामसेवक पहलवान के ललकारने पर, सत्यवीर ने फावड़े

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



से राकेश की गर्दन पर प्रहार किया, जिससे गंभीर चोटें आईं। उसने आगे कहा कि तत्पश्चात, दोनों अभियुक्त साक्षी और उसके परिवार को धमकियां देने के पश्चात मौके से भाग गए।

12. घायल राकेश ने, बीएनएसएस की धारा 180 के अंतर्गत दर्ज अपने बयान में, कहा है कि घटना की तिथि पर, सुबह लगभग 10:00 बजे, वह अपने खेत पर स्थित मंदिर के पास उपस्थित था, जहां सत्यवीर और पुनरीक्षणवादी, रामसेवक पहलवान भी उपस्थित थे। जब उसने उन्हें मंदिर के पास शराब पीने और बेचने पर आपत्ति जताई, तो दोनों ने उसे गालियां देना और उसके साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया, और पुनरीक्षणवादी ने उसे थप्पड़ मारा और सत्यवीर को उसे मारने और कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन काटने के लिए ललकारा। ऐसी ललकार के अनुसरण में, सत्यवीर ने कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन के पिछले हिस्से और सिर पर प्रहार किया, जिससे गंभीर चोटें आईं, जिसके पश्चात वह बेहोश हो गया और उसे उपचार के लिए ले जाया गया।

13. चश्मदीद गवाहों के बयान दर्शाते हैं कि उन्होंने अभियोजन के मामले का समर्थन किया है और पुनरीक्षणवादी को ललकारने की एक विशिष्ट भूमिका बताई है। ऐसी ललकार को आगे बढ़ाते हुए, सह-अभियुक्त सत्यवीर ने कथित तौर पर घायल राकेश पर फावड़े से प्रहार किया और उसकी गर्दन पर चोट पहुंचाई। चोट की रिपोर्ट खोपड़ी के पिछले हिस्से पर चोट का खुलासा करती है, और चिकित्सा परीक्षण के समय मतली और उल्टी भी पाई गई थी। खोपड़ी के पिछले हिस्से पर एक सिला हुआ घाव पाया गया था, जिसके लिए घायल को एनसीसीटी हेड के लिए संदर्भित किया गया था।

14. मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रस्तुत पूरक रिपोर्ट संकेत देती है कि, एनसीसीटी हेड के अनुसार, खोपड़ी में कोई अस्थिभंग नहीं पाया गया और चोट संख्या 1 को प्रकृति में साधारण माना गया। इस प्रकार, चोट की प्रकृति के संबंध में साक्षियों के बयानों और चिकित्सा साक्ष्य के बीच कुछ विसंगति प्रतीत होती है। हालांकि, केवल ऐसी विसंगति के आधार पर, इस प्रक्रम पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि कथित घटना नहीं हुई थी।

15. उन्मोचन आवेदन के परिशीलन से आगे पता चलता है कि पुनरीक्षणवादी ने अन्यत्र उपस्थिति के अपने तर्क के समर्थन में अपने मोबाइल फोन की लोकेशन से संबंधित दस्तावेज संलग्न किए थे। हालांकि, विद्वान विचारण न्यायालय ने टिप्पणी किया कि उन्मोचन आवेदन पर विचार करने

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



के स्तर पर अन्यत्र उपस्थिति के तर्क पर न्यायनिर्णयन नहीं किया जा सकता है और इसका परीक्षण विचारण के दौरान किया जा सकता है।

16. द.प्र.सं. की धारा 227 के अंतर्गत उन्मोचन के आवेदन को खारिज किया जा सकता है जब न्यायालय यह पाता है कि "अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार" विद्यमान हैं। यदि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सामग्री अभियुक्त के विरुद्ध "गंभीर संदेह" का खुलासा करती है, जो यह संकेत देती है कि अभियुक्त ने अपराध किया हो सकता है, जिससे एक पूर्ण विचारण की आवश्यकता होती है, तो उन्मोचन न्यायोचित नहीं है। द.प्र.सं. की धारा 227 के अंतर्गत मुख्य प्रावधान निम्नवत है:-

"द.प्र.सं. की धारा 227 उन्मोचन - यदि, प्रकरण के अभिलेख और उसके साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों पर विचार करने पर, और इस संबंध में अभियुक्त और अभियोजन पक्ष के तर्कों को सुनने के पश्चात, न्यायाधीश यह मानता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के लिए अपने कारणों को दर्ज करेगा।"

17. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार इस सिद्धांत को रेखांकित किया है कि उन्मोचन आवेदन को खारिज करने का आधार, मुख्य रूप से प्रथम दृष्टया गंभीर संदेह के अस्तित्व के इर्द-गिर्द घूमता है। अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला विद्यमान होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि न्यायालय को दोषसिद्धि के लिए सामग्री खोजने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अभियुक्त की संलिप्तता का संदेह करने के लिए केवल पर्याप्त सामग्री की आवश्यकता है।

18. भारत संघ बनाम प्रफुल्ल कुमार सामल और एक अन्य, (1979) 3 एससीसी 4 के वाद में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आरोप विरचित करने के स्तर पर, न्यायाधीश केवल एक डाकघर नहीं है, लेकिन साथ ही, उसे विचारण के चरण की तरह साक्ष्य का सूक्ष्मता से मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि, अभिलेख पर सामग्री पर विचार करने पर, न्यायाधीश यह राय बनाता है कि अभियुक्त के विरुद्ध गंभीर संदेह विद्यमान है, तो उसे विचारण के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है, और उन्मोचन के आवेदन को खारिज किया जाना चाहिए। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सामग्री ऐसी होनी चाहिए कि, यदि इसका खंडन न किया जाए, तो यह अभियुक्त की दोषसिद्धि का कारण बनने में सक्षम हो।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



19. **महाराष्ट्र राज्य और अन्य बनाम सोम नाथ थापा और अन्य, (1996) 4 एससीसी 659** के वाद में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री अभियुक्त के विरुद्ध प्रबल संदेह उत्पन्न करती है, तो यह आरोप विरचित करने के साथ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त है, इस प्रकार उन्मोचन की दलील को खारिज करना आवश्यक हो जाता है। परीक्षण यह है कि क्या सामग्री सुझाव देती है कि अभियुक्त ने संभवतः अपराध किए हैं।

स्त्री अत्याचार विरोधी परिषद आदि बनाम दिलीप नथुमल चौरड़िया और एक अन्य, 1989 एससीसी

(1) 715 के वाद में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन्मोचन के चरण पर साक्ष्य की सत्यता का निर्धारण करने के लिए 'मिनी-विचारण' शुरू करने के विरुद्ध आगाह किया। यदि अभिलेख इस बात का "उपधारणा करने के लिए आधार" का खुलासा करता है कि अभियुक्त ने अपराध किया है, तो आवेदन को खारिज किया जाना चाहिए, और वाद को विचारण के लिए आगे बढ़ना चाहिए।

20. ऊपर उल्लिखित वाद विधियों और ऊपर की गई चर्चाओं के प्रकाश में, मेरा विचार है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने उचित रूप से पाया है कि अभियुक्त के विरुद्ध कथित आरोप के संबंध में अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं और अभियुक्त को उन्मोचित करने का कोई विधिक आधार नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश उन्मोचन आवेदन को स्वीकार करने से इनकार करने के कारण निर्दिष्ट करते हुए तथ्यों और साक्ष्य पर आधारित सकारण आदेश है। इसलिए, मैं आक्षेपित आदेश पारित करने में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा की गई कोई अवैधता, अनियमितता या क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि नहीं पाता हूं और पुनरीक्षणवादी एक उपयुक्त मामला बनाने में सक्षम नहीं है, जिससे इस न्यायालय के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कोई अनुतोष प्रदान करके इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप को न्यायोचित ठहराया जा सके।

21. पुनरीक्षण गुण-दोष रहित है और तदनुसार, **खारिज** किया जाता है।

22. यहां की गई टिप्पणी केवल वर्तमान पुनरीक्षण याचिका को निर्णीत करने के प्रयोजन के लिए सीमित है और विचारण के दौरान वाद के गुण-दोष पर राय की अभिव्यक्ति के रूप में इसका अर्थ नहीं लगाया जाएगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत)

21 अगस्त, 2026

करन

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”